कम्पनी अंकेक्षण–1 (Company Audit-I)
[Section 224 to 233B]

धारा–226 (Sec.-226) :–
इस धारा के अंतर्गत कम्पनी अंकेक्षक की योग्यताओं अयोग्यताओं के संबंध में उल्लेख किया गया है । इस धारा के अंतर्गत यह भी उल्लेखित है कि जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउण्टेंट (CA) है वे किन परिस्थितियों में कंपनी अंकेक्षक नहीं बन सकते हैं और साथ ही यह भी उल्लेखित है कि कुछ परिस्थितियों में कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त होने के उपरांत अंकेक्षक को अपने पद से स्वतः ही मुक्त हुआ समझा जाता है ।

उपधारा–1 (Sub. Sec.-1) :– कोई भी एकल व्यक्ति या कोई भी साझेदारी फर्म किसी भी कम्पनी का अंकेक्षक बनने के लिए योग्य है यदि वह व्यक्ति चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट है और वह साझेदारी फर्म जिसके सभी साझेदार चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट हैं । चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट एक्ट 1949 के अंतर्गत यह उल्लेखित है कि कम्पनी का अंकेक्षक वही चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट बन सकता है जो भारत में पेशेवर व्यक्ति है अर्थात् जिसके पास पेशा करने से संबंधित ICAI का प्रमाण पत्र उपलब्ध है ।

उपधारा–2 (Sub. Sec.-2) :– 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के उपरांत केंद्रीय सरकार द्वारा यह देखा गया कि देश में कुछ कंपनियॉ कार्यरत हैं परंतु केंद्रीय सरकार के सामने यह समस्या आई कि उन कंपनियों का अंकेक्षण किन व्यक्तियों से कराया जाये । चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट अधिनियम 1949 में पारित किया गया और पहली बार 1955 में चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट आए । केंद्रीय सरकार के सामने यह समस्या थी कि 1947 से 1955 के मध्य उन कंपनियों का अंकेक्षण कार्य किन व्यक्तियों से कराया जाये अतः केंद्रीय सरकार द्वारा 1951 में State Law Act 1951 के नाम से एक अधिनियम पारित किया गया और इस आधार पर कुछ योग्य व्यक्तियों को कंपनी का अंकेक्षण करने के लिये योग्य ठहराया गया जिन्हें Restrictate State Auditor कहा गया । इन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने उनको रद्द करने व आगे बढाने संबंधी सभी शक्तियॉ केंद्रीय सरकार के अधीन थी जिन्हें केंद्रीय सरकार ने 1955 में वापस ले लिया । जिन व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया था उनकी योग्यताऐं इस अधिनियम के भाग (B) में उल्लेखित की । 1955 में चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स के आते ही केंद्रीय सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वे कंपनियों का अंकेक्षण 1 नवंबर 1956 के उपरांत नहीं कर सकेंगे अर्थात् 1.11.1956 के उपरांत कंपनी अधिनियम की उपधारा (1) लागू कर दी गई ।

Abhishek Sarda

अंकेक्षक की अयोग्यताएँ

उपधारा–3 (Sub. Sec.-3) :–
कुछ व्यक्ति चाहे वो चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट हो कंपनी अंकेक्षक बनने के योग्य नहीं हैं :–
(1) एक समामेलित संस्था
(2) कंपनी का कोई कर्मचारी या अधिकारी
(3) कंपनी के किसी कर्मचारी या अधिकारी का साझेदार या अधिकारी
(4) एक ऐसा व्यक्ति जिसने कंपनी से एक हजार रूपये (1000/–) से अधिक का ऋण प्राप्त किया हो या कंपनी को एक हजार रूपये से अधिक की जमानत दी हो ।
(5) एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उस कंपनी की प्रतिभूति हो । प्रतिभूति से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है जिसमें मताधिकार भी शामिल हो ।

उपधारा–4 (Sub. Sec.-4) :– यदि कोई व्यक्ति जो उपधारा–3 के आधार पर सहायक कंपनी में अयोग्य करार कर दिया जाता है या सूत्रधारी कंपनी में अयोग्य करार कर दिया जाता है तो वह सहायक कंपनी की सूत्रधारी कंपनी और सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी में भी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है ।

उपधारा–5 (Sub. Sec.-5) :– किसी भी अंकेक्षक की नियुक्ति के उपरांत यदि अंकेक्षक उपरोक्त वर्णित उपधारा 3 या 4 में अयोग्य हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि अंकेक्षक ने स्वतः ही अपने पद को मुक्त कर दिया है ।

नोट :–

धारा 314 (1B) :– अंकेक्षक को यह बताना होगा कि वह किस संचालक का रिश्तेदार है तथा उस संचालक का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए तभी वह इसका उल्लेख करेगा ।

धारा–224 (Sec.-224) :–

इस धारा के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति उसके कार्यकाल और उसके पारिश्रमिक के संबंध में प्रावधान हैं। इस धारा के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि यदि अंकेक्षक अपने कार्यकाल के दौरान किसी आकस्मिक रिक्तता का शिकार हो जाता है तो अंकेक्षक की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी । इस धारा के अंतर्गत यह भी उल्लेखित है कि अंकेक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जाना है तो उस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

उपधारा–1 (Sub. Sec.-1) :– प्रत्येक कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक होता है चाहे कंपनी की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण हुआ हो या नहीं । अंकेक्षक का कार्यकाल नियुक्त की जाने वाली वार्षिक साधारण सभा से लेकर आने वाली साधारण सभा की समाप्ति तक रहता है । प्रत्येक अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए अंकेक्षक से कंपनी द्वारा एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है कि यदि उस अंकेक्षक की नियुक्ति कर दी जाए तो वह धारा 224 (1B) में अयोग्य नहीं होगा ।

Abhishek Sarda

वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर कंपनी द्वारा अंकेक्षक को उसकी नियुक्ति की सूचना भेजनी होगी ।

उपधारा–1 A (Sub. Sec.-1A) :– कम्पनी द्वारा अंकेक्षक को नियुक्ति की सूचना भेजने के उपरांत अंकेक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह कम्पनी व रजिस्ट्रार कम्पनी को 30 दिनों के भीतर अपनी ईच्छा अवगत कराए । यदि वह अंकेक्षक के रूप में कार्य करना चाहता है और यदि वह अंकेक्षक के रूप में कार्य नहीं करना चाहता है तो भी उस नियुक्त हुए अंकेक्षक को कंपनी व कंपनी रजिस्ट्रार को सूचना प्रेषित करनी होगी । इस प्रकार की सूचना प्रथम अंकेक्षक के द्वारा दी जानी आवश्यक है । इन 30 दिनों की गणना नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथी से की जाएगी ।

उपधारा–3 (Sub. Sec.-3) :– यदि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं हो पाती है तो कंपनी का यह कर्तव्य है कि वह वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को यह सूचना करे कि अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है । यदि इस संबंध में कंपनी या कंपनी के अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की अवहेलना की जाएगी तो भी केंद्रीय सरकार की शक्ति समाप्त नहीं होगी अर्थात् केंद्रीय सरकार ही अंकेक्षक की नियुक्ति करेगी ।

उपधारा–4 (Sub. Sec.-4) :– यदि कंपनी व कंपनी के अधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार को AGM के 7 दिनों के भीतर अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं किए जाने के संबंध में सूचना नहीं भेजी जाती है तो कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर अधिकतम 5000 रू. का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है ।

उपधारा–5 (Sub. Sec.-5) :– प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के संचालक मंडल द्वारा की जाएगी जो कि कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 1 माह के भीतर हो जानी चाहिए । यदि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा नहीं की जा पाती है तो नियुक्ति का अधिकार कंपनी की साधारण सभा के पास हस्तांतरित हो जाएगा और अंततः यह अधिकार केंद्रीय सरकार के पास हस्तांतरित हुआ माना जाएगा । प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम साधारण सभा की समाप्ति तक माना जाएगा । प्रथम अंकेक्षक को कंपनी की साधारण सभा द्वारा ही हटाया जा सकता है ।

उपधारा–6 (Sub. Sec.-6) :– आकस्मिक रिक्तता की स्थिति में अंकेक्षक की नियुक्ति आकस्मिक रिक्तता पद शब्द अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है । आकस्मिक रिक्तता दो कारणों से हो सकती है :–

(1) अंकेक्षक के त्याग पत्र देने से
(2) अन्य कारणों से , जिनमें अंकेक्षक की मृत्यु , न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाना या अंकेक्षक का अयोग्य हो जाना ।

अंकेक्षक के पद पर आकस्मिक रिक्तता अंकेक्षक के किन्हीं कारणों से ही संभव होती है न कि कंपनी के किसी कारणों से ।

Abhishek Sarda

यदि अंकेक्षक कार्यालय में आकस्मिक रिक्तता अंकेक्षक द्वारा त्याग पत्र दिये जाने से होती है तो उस स्थिति में दूसरे अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी की साधारण सभा में ही की जाएगी और यदि अंकेक्षक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तता अन्य कारणों से होती है तो दूसरे अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के संचालक मंडल द्वारा की जाएगी ।

कंपनी की जिस साधारण सभा में अंकेक्षक का त्याग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उस साधारण सभा में अंकेक्षक का त्याग पत्र तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि त्याग पत्र के कारणों का उल्लेख उस त्याग पत्र में नहीं हो । यदि कंपनी के अंशधारी यह समझते हैं कि कंपनी का अंकेक्षक अपने स्थान पर सही है तो अंशधारी अंकेक्षक से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि वह अपना त्यागपत्र वापस ले लें और वे त्यागपत्र के कारणों को दूर करने में सहायता करेंगे । इसीलिए त्यागपत्र के कारण उत्पन्न अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्तता पर नये अंकेक्षक की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के अंशधारियों की साधारण सभा को दिया गया है ।

संचालक मंडल की सभा से कंपनी के अंकेक्षक को हटाने का अधिकार संचालक मंडल को इसलिए नहीं दिया गया है कि अंकेक्षक द्वारा संचालकों के किसी प्रकार के कपट पकड़ लिए जाए तो वह बिना अंशधारियों की स्वीकृति के अंकेक्षक को नहीं हटा सकें । इसलिए अंकेक्षक को हटाने का अधिकार संचालक मंडल के पास न होकर प्रत्येक कंपनी की साधारण सभा के पास होता है ।

उपधारा–7 (Sub. Sec.-7) :– यदि अंकेक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व यानि कि वार्षिक साधारण सभा से पूर्व हटाना है तो कंपनी द्वारा इसके संबंध में केंद्रीय सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी । यह पूर्वानुमति प्रथम अंकेक्षक को हटाने के संबंध में प्राप्त नहीं की जाएगी ।

उपधारा–8 (Sub. Sec.-8) :–

अंकेक्षक का पारिश्रमिक

जिस भी सत्ता द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है उसी के द्वारा अंकेक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है अर्थात् यदि अंकेक्षक की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की गई है तो पारिश्रमिक का निर्धारण साधारण सभा द्वारा ही किया जाएगा । साधारण सभा चाहे तो उसके पारिश्रमिक के निर्धारण से संबंधित अपनी शक्तियाँ कंपनी के संचालक मंडल को हस्तांतरित कर सकती है । यदि अंकेक्षक की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है तो पारिश्रमिक का निर्धारण भी केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा या कंपनी के संचालक मंडल द्वारा , यदि केंद्रीय सरकार ने अधिकृत किया हो । पारिश्रमिक के अंतर्गत अंकेक्षक को दिये जाने वाले वे सभी खर्च भी शामिल है जो अंकेक्षक को उसके अंकेक्षण कार्य के दौरान दिये जाते हैं ।

यदि अंकेक्षक द्वारा कंपनी को कुछ अन्य मामलों के संबंध में अपनी राय दी गई है जिसमें वह पारंगत है तो अंकेक्षक उन सभी रायों के संबंध में अलग से पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है और उस पारिश्रमिक को कंपनी के लाभ एवं हानि खाते में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के भाग II के अनुसार (According to part II of schedule VI of Companies Act, 1956) दर्शाया जाएगा ।

उपधारा–2 (Sub. Sec.-2) :–

अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति

कंपनी अधिनियम की धारा 224 (1B) व 224A को ध्यान में रखते हुए कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में एक अंकेक्षक जिसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है कि निम्न परिस्थितियों में स्वचालित तौर पर पुनः नियुक्ति की हुई मानी जाएगी परंतु अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति के लिए कंपनी को एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करना होगा क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है जिसमें कोई भी कार्य बिना प्रस्ताव पारित किए नहीं किया जा सकता ।

Abhishek Sarda

अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक की पुनः नियुक्ति निम्न स्थितियों में स्वचालित रूप से मानी जाएगी अर्थात् अंकेक्षक की पुनः नियुक्ति निम्न शर्तों के अनुसार समझी जाएगी :–

(1) यदि अंकेक्षक अयोग्य नहीं हुआ है अर्थात् अंकेक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 225 के अंतर्गत योग्य है।
(2) अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक ने कंपनी को अपनी अनिच्छा लिखित रूप में जारी नहीं की है अर्थात् अंकेक्षक पद पर बना रहना चाहता है ।
(3) अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का किसी भी प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अर्थात् किसी अन्य व्यक्ति को अवकाश ग्रहण कर रहे अंकेक्षक के स्थान पर नियुक्त करने का निर्णय नहीं किया गया है ।
(4) कंपनी को एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार किसी अंकेक्षक को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव है परंतु उस अंकेक्षक के संबंध में प्रस्ताव इसलिए पारित नहीं किया जा सका है क्योंकि उस व्यक्ति की या तो मौत हो गई है या अयोग्य हो गया है या अक्षमता के कारण योग्य नहीं समझा जा सकता है ।

धारा–224 A (Sec.-224A) :–

इस धारा के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति विशेष प्रस्ताव द्वारा ही की जाएगी । दूसरे शब्दों में अंकेक्षक की नियुक्ति सामान्य रूप से सामान्य प्रस्ताव पारित करके ही की जाती है । इस धारा के अंतर्गत यह भी उल्लेखित है कि अंकेक्षक की नियुक्ति विशेष प्रस्ताव पारित करके नहीं की जाती है तो यह समझाा जाएगा कि वार्षिक साधारण सभा में किसी भी अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है और नियुक्ति के संबंध में शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास हस्तांतरित हो जाएगी ।

उपधारा–1 (Sub. Sec.-1) :–
कोई भी कंपनी जिसकी अभियाचित पूँजी का कम से कम 25 प्रतिशत भाग निम्न एक या एक से अधिक व्यक्तियों के पास हो तो अंकेक्षक की नियुक्ति विशेष प्रस्ताव द्वारा ही की जाएगी :–
(1) एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकारी कंपनी , केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार
(2) किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित कोई वित्तीय या उच्च संस्थान जिसमें राज्य सरकार के पास उस कंपनी की अभियाचित पूंजी का 51 प्रतिशत भाग हो
(3) एक राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी बीमा कंपनी जो सामान्य बीमा व्यवसाय में कार्यरत हो ।

धारा–224 (1B) तथा 224(1C) {(Sec.-224 (1B) and (1C)} :–
कंपनी संशोधन अधिनियम 1974 के लागू होने के तुरंत अगले वर्ष से ना तो कंपनी ना ही कंपनी का संचालक मंडल और ना ही केंद्रीय सरकार किसी भी अंकेक्षक की नियुक्ति तब नहीं कर सकेगी यदि उस अंकेक्षक के पास निर्धारित सीमा से अधिक कंपनियों का अंकेक्षण होगा । निर्धारित सीमा से तात्पर्य उस सीमा तक है यदि कंपनी द्वारा एकल व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो निर्धारित सीमा उस एकल व्यक्ति के संबंध में गिनी जाएगी और यदि कंपनी द्वारा अंकेक्षक के रूप में किसी फर्म को नियुक्त किया जाता है तो निर्धारित सीमा प्रति साझेदार के संबंध में गिनी जाएगी परंतु फर्म का प्रत्येक साझेदार किसी अन्य जगह कार्यरत नहीं होना चाहिए । निर्धारित सीमा से तात्पर्य निम्न प्रकार से है :–

(अ) यदि किसी कंपनी की प्रदत्त पूँजी 25 लाख रू. से कम है तो प्रति अंकेक्षक अंकेक्षणों की निर्धारित सीमा 20 मानी जाएगी ,
(ब) यदि कंपनी की प्रदत्त पूँजी 25 लाख या उससे अधिक है तो निर्धारित सीमा 20 ही मानी जाएगी परंतु ऐसी कंपनियों की निर्धारित सीमा अधिकतम 10 ही मानी जाएगी जिनकी प्रदत्त पूँजी 25 लाख या 25 लाख से अधिक है अर्थात् किसी भी परिस्थिति में अंकेक्षक की कुल अंकेक्षण सीमा 20 से अधिक नहीं होगी जिनमें से 10 ऐसी कंपनियाँ हो सकती है जिनकी प्रदत्त पूँजी 25 लाख या 25 लाख से अधिक है ।

Abhishek Sarda

इस निर्धारित सीमा के अंतर्गत निम्न को शामिल नहीं किया जाता है :–
(1) निजी कंपनी
(2) किसी भी कंपनी की शाखाएँ
(3) विदेशी कंपनी
(4) वैधानिक निगम
(5) विशेष अंकेक्षण वाली कंपनियाँ जिन्हें धारा 233 B में परिभाषित किया गया है ।

यदि एक अंकेक्षक अपने स्वयं के नाम से अंकेक्षण कार्य कर रहा है और वह अन्य कार्य में भी साझेदार है तो उस अंकेक्षक की निर्धारित सीमा 20 से अधिक नहीं मानी जाएगी ।

ICAI अधिनियम 1949 के अनुसार उपरोक्त निर्धारित सीमा 20 के स्थान पर 30 निर्धारित की गई और साथ ही इन 30 की निर्धारित सीमा के अंतर्गत निजी कंपनियों और शाखाओं को भी सम्मिलित किया गया है ।

धारा–225 (Sec.-225) :–
प्रत्येक अंकेक्षक का कार्यकाल अगली वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक रहता है । आने वाली वार्षिक साधारण सभा में उस अंकेक्षक की या तो पुनः नियुक्ति की जाएगी या किसी अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी अर्थात् आने वाली साधारण सभा में प्रत्येक अंकेक्षक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है । वार्षिक

साधारण सभा में यदि पूर्व अंकेक्षक की पुनः नियुक्ति नहीं की जा रही है अर्थात् किसी अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति की जा रही है तो धारा 225 के प्रावधानों की पालना की जाएगी ।

उपधारा–1 (Sub. Sec.-1) :–
कंपनी का कोई भी सदस्य कंपनी को वार्षिक साधारण सभा की सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के उपरांत अर्थात् वार्षिक साधारण सभा की तिथि से 14 दिन पूर्व एक विशेष सूचना यह भेज सकता है किः–
(1) पूर्व अंकेक्षक को नियुक्त नहीं किया जाए
(2) पूर्व अंकेक्षक के स्थान पर संबंधित व्यक्ति को अंकेक्षक नियुक्त किया जाए ।

उपधारा–2 (Sub. Sec.-2) :–
यदि इस प्रकार की विशेष सूचना कंपनी के किसी सदस्य द्वारा कंपनी को दी जाती है तो कंपनी का यह कर्तव्य होता है कि वह इस सूचना के बारे में पूर्व अंकेक्षक को विशेष सूचना करें जिससे कंपनी के पूर्व अंकेक्षक को यह ज्ञात हो जाए कि कंपनी का कोई सदस्य उसकी पुनः नियुक्ति नहीं चाहता है ।

उपधारा–3 (Sub. Sec.-3) :–
पूर्व अंकेक्षक के पास विशेष सूचना प्राप्त होने के उपरांत दो प्रकार के विकल्प रहते हैं :–

(क) विशेष सूचना का वह स्वीकृत कर ले और अपने अंकेक्षक पद पर नहीं रहने के संबंध में कंपनी को किसी भी प्रकार का लिखित प्रतिवेदन न दें ।

(ख) पूर्व अंकेक्षक यदि कंपनी में अंकेक्षक के पद पर बना रहना चाहता है तो वह कंपनी को एक लिखित प्रतिवेदन जारी करे । इस लिखित प्रतिवेदन में पूर्व अंकेक्षक यह उल्लेखित कर सकता है कि उसको हटाये जाने के कारण क्या है और उसके द्वारा कंपनी के अंकेक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई थी ।

AbhishekSarda

कंपनी को पूर्व अंकेक्षक का लिखित प्रतिवेदन प्राप्त होते ही , उसका उल्लेख सभी सदस्यों को करना होगा। यदि किन्हीं भी कारणों से वह लिखित प्रतिवेदन कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को नहीं भेजा जाता है तो पूर्व अंकेक्षक के पास अधिकार सुरक्षित है कि उसका लिखित प्रतिवेदन आने वाली वार्षिक सभा में पढ़कर सुनाया जाए ।

कोई भी सदस्य जो कि इस लिखित प्रतिवेदन व विशेष सूचना से प्रभावित है या कंपनी स्वयं यह समझती है कि लिखित प्रतिवेदन न तो सदस्यों को भेजा जाए और न ही वार्षिक साधारण सभा में पढ़कर सुनाया जाए तो प्रभावित व्यक्ति या कंपनी NCLT (National Company Law Tribunal) को आवेदन करेगी कि पूर्व अंकेक्षक का लिखित प्रतिवेदन सभी सदस्यों को नहीं भेजा जाए और पूर्व अंकेक्षक को भी वार्षिक साधारण सभा में इसे पढ़ने की अनुमति न दी जाए । यदि NCLT इस बात से संतुष्ट है तो वह इस संबंध में अपने आदेश जारी करेगी और आदेश में यह भी उल्लेखित करेगी की इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो भी व्यय हुआ है , उसे पूर्ण रूप से या उस व्यय का कुछ प्रतिशत पूर्व अंकेक्षक से वसूला जाए क्योंकि पूर्व अंकेक्ष कइस लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से अपना अनावश्यक प्रचार कर रहा है और यह प्रचार एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसके लिए उस पूर्व अंकेक्षक को पहले ही अयोग्य साबित कर दिया गया है ।

उपधारा–4 (Sub. Sec.-4) :–
उपरोक्त प्रकिया धारा 224(5) तथा धारा 224 (7) के लिए भी लागू मानी जाएगी ।

धारा–227 (Sec.-227) :–

अंकेक्षक के अधिकार

धारा 227 के अंतर्गत अंकेक्षकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है । इस धारा के अंतर्गत यह भी उल्लेखित है कि अंकेक्षक अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन किस प्रारूप में जारी करेगा । इस धारा के अंतर्गत अंकेक्षक को अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ कुछ अन्य मामलों पर भी अपनी टिप्पणी जारी करनी होती है जिसे CARO–2003 के नाम से जाना जाता है ।

उपधारा–1 (Sub. Sec.-1) :–
अंकेक्षक को प्रत्येक कंपनी के अंकेक्षण के दौरान दो प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं :–

(1) कंपनी की लेखा पुस्तकों व अन्य दस्तावेजों तक पहुँचने का अधिकार :– अंकेक्षक अपने कार्यकाल के दौरान (जोकि धारा 224(1) में उल्लेखित है) कंपनी की सभी लेखा पुस्तकों तक पहुँचने का अधिकार रखता है । पहुंचने के अधिकार से तात्पर्य है कि अंकेक्षक उनकी जाँच जिस भी प्रकार से करना चाहे वह कर सकता है । लेखा पुस्तकों के अंतर्गत निम्न पुस्तकों को शामिल किया जाता है :–

- वित्तीय लेखा पुस्तकें – बैंक बही, खाता बही
- सांख्यिकीय लेखा पुस्तकें–बजट
- वैधानिक लेखा पुस्तकें–सभाओं के सूक्ष्म (Minutes of Mettings) , सदस्यों का रजिस्टर, ऋणपत्रधारियों का रजिस्टर इत्यादि ।
- मात्राओं के संबंध में लेखा पुस्तकें – उत्पादन, स्टॉक इत्यादि ।
- अन्य दस्तावेज

Abhishek Sarda

अन्य दस्तावेजों से यह तात्पर्य है कि ऐसे दस्तावेज जिनके आधार पर कंपनी की लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को दर्ज किया गया है अर्थात् इनमें सभी प्रकार के प्रमाणक, कंपनी के सीमा नियम व अंर्तनियम तथा अन्य अनुबंध कंपनी के अंकेक्षक को कंपनी की शाखाओं से संबंधित लेखा पुस्तकें भी जाँचने का अधिकार है ।

(2) कंपनी के अधिकारियों से सूचनाएँ व स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार :– कंपनी के अंकेक्षक को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी व्यवहार के संबंध में व लेखा पुस्तकों के संबंध में स्पष्टीकरण माँग सकता है जो भी वह उचित समझे । कंपनी का कोई भी अधिकारी जिसमें संचालक मंडल भी शामिल है कंपनी के अंकेक्षक को किसी भी प्रकार की सूचना देने से मना नहीं कर सकता है और यदि वह किसी भी प्रकार की सूचना या स्पष्टीकरण देने से मना करता है तो अंकेक्षक *राय की मनाही* का प्रतिवेदन इस संबंध में उल्लेखित करेगा ।
कंपनी के अंकेक्षक को कंपनी की लेखा पुस्तकें व अन्य दस्तावेजों को जाँचने का अधिकार उसकी नियुक्ति के उपरांत ही प्राप्त हो जाता है चाहे वे लेखा पुस्तकें पंजीकृत कार्यालय , शाखा कार्यालय या अन्य किसी स्थान पर रखी गई हो । ये लेखा पुस्तकें व दस्तावेज कंपनी के अंकेक्षक द्वारा कंपनी के कार्य दिवसों व व्यवसाय के समय के दौरान ही जाँची जा सकती है ।

उपधारा–1 A (Sub. Sec.-1A) :–
इस उपधारा के अंतर्गत अंकेक्षक को निम्न प्रावधानों की जाँच करके अपने प्रतिवेदन में इन्हें शामिल करना होता है । इन प्रावधानों को अंकेक्षक द्वारा अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में तभी शामिल किया जाएगा जब अंकेक्षक को ये प्रावधान नकारात्मक रूप में प्राप्त होंगे अर्थात् इन प्रावधानों की जाँच के उपरांत यदि अंकेक्षक को यह लगता है कि इनमें से कुछ प्रावधान या सभी प्रावधान कंपनी के पक्ष में नहीं है तभी अंकेक्षक इन पर अपनी टिप्पणी जारी करेगा अन्यथा नहीं :–

(अ) क्या प्रतिभूति के आधार पर संबंधित कंपनी द्वारा दिये गये ऋण या अग्रिम आरक्षित हैं तथा उनकी शर्तें कंपनी व सदस्यों के हितो विपरीत तो नहीं है ?
(ब) क्या कंपनी के लेनदेन जो मात्र पुस्तकीय लेखों के माध्यम से दर्शाये गये हैं, वे भी कंपनी के हितो के विपरीत तो नहीं है ?
(स) कंपनी की संपतियाँ जिनमें अंशों , ऋणपत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को शामिल किया गया है क्या कंपनी द्वारा उन्हें उस मूल्य के नीचे बेचा गया है जिस मूल्य पर कंपनी द्वारा उन्हें खरीदा गया था ? इस वाक्यांश में धारा 372 में उल्लेखित निवेश कंपनियों व बैंकिग कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है ।
(द) क्या कंपनी द्वारा दिये गये ऋण व अग्रिम जमाओं के रूप में दिखाए गए हैं ?
(य) क्या व्यक्तिगत व्ययों को आगम खातों में दर्शाया गया है ?
(र) जहाँ कंपनी की पुस्तकों व दस्तावेजों में यह दर्शाया गया है कि कंपनी द्वारा अंश रोकड़ पर जारी किए गए हैं तो क्या कंपनी को वास्तव में रोकड़ प्राप्त हुई है और इन्हें कंपनी की लेखा पुस्तकों व चिट्ठे में सही प्रकार से दर्शाया गया है अर्थात् भ्रमित नहीं किया गया है ।

उपधारा–2 (Sub. Sec.-2) :–
कंपनी के अंकेक्षक को अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन कंपनी के सदस्यों के नाम से जारी करना होता है । इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को अंकेक्षक तभी जारी करेगा जब उसने अपना अंकेक्षण कार्य पूरा कर लिया हो । SA700 (AAS-28) The Auditor's Report on Financial Statements के अनुसार अंकेक्षक अपने द्वारा जाँचे गये लाभ–हानि खाते, चिट्ठे एवं अधिनियम द्वारा घोषित प्रत्येक अन्य दस्तावेज जो लाभ–हानि खाते एवं चिट्ठे का भाग हैं या उसके साथ लगाये जाने हैं , जोकि उसके कार्यकाल के दौरान कंपनी की साधारण सभा में रखे जाएंगे पर अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) जारी करेगा और उसमें यह घोषणा करेगा कि उसकी राय में एवं उसकी श्रेष्ठ जानकारी में, उसे दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार ये खाते कंपनी अधिनियम द्वारा वांछित प्रारूप में सूचना प्रदान करते हुएः–

Abhishek Sarda

(अ) कंपनी का चिट्ठा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की सही व उचित स्थिति दर्शा रहा है ,
(ब) लाभ–हानि खाता संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वास्तविक लाभ या हानि दर्शा रहा है

उपधारा–3 (Sub. Sec.-3) :–
इस उपधारा के अंतर्गत अंकेक्षक को अंकेक्षण द्वारा कुछ अन्य मामलों पर भी अपनी राय अंकित करनी होती है । ये मामले निम्न हैं :–
वाक्यांश (a) क्या अंकेक्षक ने वे सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उसके अंकेक्षण के लिए जरूरी थे ?
वाक्यांश (b) कंपनी अधिनियम के अनुसार क्या कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं और कंपनी की यदि शाखाएँ हैं तो उन शाखाओं से क्या कंपनी को उचित अंतरालों में विवरणियाँ (Returns) प्राप्त हो रही है ।
वाक्यांश (bb) क्या कंपनी अंकेक्षक को शाखा अंकेक्षक द्वारा अपना प्रतिवेदन भेज दिया है और कंपनी अंकेक्षक ने उस प्रतिवेदन को अपने प्रतिवेदन में शामिल कर लिया है ? शाखा अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदन धारा 228 (3) के माध्यम से भेजा जाएगा ।
वाक्यांश (c) क्या कंपनी का चिट्ठा व लाभ एवं हानि खाता कंपनी की पुस्तकों से मेल खाता है ?
वाक्यांश (d) कंपनी का चिट्टा व लाभ–खाता लेखांकन मानदण्डों के अनुसार बनाया गया है ।
वाक्यांश (e) यदि अंकेक्षक द्वारा कंपनी के लेखों के संबंध में किसी प्रकार की मर्यादा, नकारात्मक टिप्पणी दी जानी है तो उन्हें अंकेक्षण प्रतिवेदन में या तो गहरे शब्दों में या तिरछे शब्दों में दर्शाया जाएगा जिससे कंपनी के अंशधारी तुरंत ही उन्हें पढ़ सकें ।

वाक्यांश (f) यदि कंपनी का कोई संचालक कंपनी अधिनियम की धारा 78(1) (G) में अयोग्य है तो अंकेक्षक को उस संचालक या उन संचालकों का नाम प्रदर्शित करना होगा ।

वाक्यांश (g) क्या कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 441(A) के अनुसार Cess का भुगतान कर दिया है और यदि नहीं तो ना भुगता की गई राशि तथा समय का विवरण प्रदर्शित करना होगा ।

उपधारा–4 (Sub. Sec.-4) :–

यदि कंपनी अंकेक्षक द्वारा उपधारा (2) में नकारात्मक टिप्पणी या मर्यादाएँ दी गई हैं तो अंकेक्षक को उन मर्यादाओं व टिप्पणियों के संबंध में कारण भी प्रदर्शित करने होंगे । इसी प्रकार से अंकेक्षक द्वारा उपधारा (3) के अंतर्गत वाक्यांश a,b, bb, d में कोई नकारात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई है तो अंकेक्षक को वहां भी उनसे संबंधित कारण प्रेक्षित करने होंगे ।

उपधारा–4 A (Sub. Sec.-4A) :–

केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कंपनी अंकेक्षकों को इस बात के लिए बाध्य करें कि उन्हें अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ किन्हीं अन्य मामलों पर भी अपनी राय व्यक्त करनी है । इस उपधारा कें अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा MAOCARO-1988 जारी किया गया इस आदेश को CARO-2003 द्वारा समाप्त कर दिया गया अर्थात् CARO-2003 1-जनवरी-2004 से लागू कर दिया गया । यह आदेश कुछ निर्दीष्ट कंपनियों के संबंध में ही जारी किया गया । जिनके संबंध में ICAI द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई । CARO-2003 के अंतर्गत अंकेक्षक का 21 मामलों के संबंध में अपनी राय प्रेक्षित करनी होती है । ये सभी मामले ऐसी प्रकृति के हैं जो कंपनी के प्रबंध से संबंधित हैं अर्थात् कंपनी के प्रबंध ने क्या उन सभी मामलों पर अपनी जाँच की थी और उन जाँचों का क्या परिणाम प्राप्त हुआ था । CARO-2003 सभी प्रकार की कंपनियों पर लागू होता है । इनमें विदेशी कंपनियाँ व कंपनियों की शाखाएँ भी शामिल हैं । CARO-2003 निम्न कंपनियों पर लागू नहीं होता है ।

Abhishek Sarda

(1) बैंकिंग कंपनी

(2) बीमा कंपनी

(3) कंपनी अधिनियम की धारा 25 में पंजीकृत अलाभकारी कंपनी

(4) निजी कंपनी :– निजी कंपनी के संदर्भ में CARO-2003 तभी लागू हुआ नहीं माना जाएगा जब निम्न तीनों शर्तें एक साथ पूर्ण हो जाएगी :–

(i) यदि कंपनी की प्रदत्त पूँजी व समता 50 लाख से अंधिक नहीं है ।

(ii)कंपनी में किसी भी प्रकार का ऋण 25 लाख या उससे अधिक नहीं है ।

(iii) कंपनी की कुल आवर्त 5 करोड़ से अधिक नहीं है ।

धारा–228 (Sec.-228) :–

शाखा अंकेक्षण (Branch Audit)

इस धारा के अंतर्गत ***शाखा अंकेक्षक*** की नियुक्ति, उसका पारिश्रमिक व कंपनी अंकेक्षक के अधिकार इत्यादि का उल्लेख किया गया है । इस धारा के अंतर्गत शाखा अंकेक्षक से कंपनी अंकेक्षक के संबंध के बारे में भी उल्लेख है ।

उपधारा–1 (Sub. Sec.-1) :–

यदि कंपनी की शाखाएँ हैं तो उस स्थिति में शाखाओं का अंकेक्षण निम्न व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा :–

1) यदि कंपनी की शाखाएँ भारत में हैं तो :–

(अ) कंपनी अधिनियम की धारा 224 में नियुक्त कंपनी अंकेक्षक द्वारा ,

(ब) कंपनी अधिनियम की धारा 226 में योग्यता रखने वाले अंकेक्षक द्वारा

2) यदि शाखा या शाखाएँ विदेश में हैं :–

(अ) उपरोक्त 1) (अ) या (ब) के अनुसार ,

(ब) उस देश के अधिनियमों द्वारा योग्यता रखने वाले व्यक्ति द्वारा

उपधारा–2 (Sub. Sec.-2) :–

यदि शाखाओं का अंकेक्षण कंपनी अंकेक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा है तो उस परिस्थिति में कंपनी अंकेक्षक जिसकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम की धारा 224 में की गई थी के पास शाखाओं के अंकेक्षण के संबंध में निम्न अधिकार होंगे :–

(1) कंपनी अंकेक्षक शाखाओं का भ्रमण कर सकता है यदि वह इस संबंध में उचित समझता है ।

(2) भ्रमण के उपरांत वह शाखा की लेखा पुस्तकों व अन्य दस्तावेजों की भी विस्तृत रूप से जाँच कर सकता है । यदि बैंकिंग कंपनी की कोई शाखा विदेश में है तो भारतीय अंकेक्षक विदेश में जाकर बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण करने का अधिकार नहीं रखता है अर्थात् विदेशी शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के आधार पर ही वह शाखा का अंकेक्षण पूर्ण करेगा और फिर भी अंकेक्षक को यह आभास होता है कि बैंकिंग कंपनी की विदेशी शाखा सही प्रकार से अपना कार्य नहीं कर रही है तो वह इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से विशेष अनुमति प्राप्त करें ।

उपधारा–3 (Sub. Sec.-3) :–

वाक्यांश (a)कंपनी अंकेक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की शाखा अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति या तो कंपनी की साधारण सभा में की जाएगी या कंपनी की साधारण सभा द्वारा कंपनी के संचालकों को अधिकृत कर दिया जाएगा अर्थात् कंपनी का संचालक मंडल कंपनी अंकेक्षक से विचार विमर्श करके शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा , परंतु इस वाक्यांश के अंतर्गत वो जो कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जा चुका है , उसे शामिल नहीं किया जाएगा ।

Abhishek Sarda

वाक्यांश (b) जिस भी व्यक्ति को शाखा अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा उसे शाखा अंकेक्षक कहा जाएगा और उसके पास वो ही अधिकार होंगे जो कंपनी अंकेक्षक के अधिकार धारा 227 के अंतर्गत होते हैं।

वाक्यांश (c) शाखा अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन कंपनी अंकेक्षक को प्रेषित करेगा जो जिस भी प्रकार चाहेगा उसे अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल करेगा ।

वाक्यांश (d) शाखा अंकेक्षक का पारिश्रमिक या तो साधारण सभा द्वारा निर्धारित किया जाएगा या कंपनी के संचालक मंडल द्वारा और उसका कार्यकाल भी कंपनी की साधारण सभा या संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा , यदि उसे अधिकृत किया गया है तो ।

उपधारा–4 (Sub. Sec.-4) :–

केंद्रीय सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर किसी भी कंपनी की किसी भी शाखा/शाखाओं को अंकेक्षण से मुक्त कर सकती है ।

वाक्यांश (a) यदि कंपनी द्वारा अपनी शाखाओं का अंकेक्षण नियमित रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा कराया जा रहा है जो या तो कंपनी के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं और चाहे वे कंपनी अधिनियम की धारा 226 के अनुसार योग्य न हो परंतु केंद्रीय सरकार इस प्रकार के अंकेक्षण से संतुष्ट हो तो उस संबंध में संबंधित शाखा या शाखाओं को अंकेक्षण मुक्त कर सकती है ।

वाक्यांश (b) यदि निर्माणी, प्रक्रियागत अथवा व्यावसायिक गतिविधी में संलग्न कंपनी का कोई शाखा कार्यालय है जिसकी गतिविधी की मात्रा का औसत अर्थात् (1) उत्पादित निर्मित या प्रक्रियागत हुए माल अथवा सामान का कुल मूल्य या (2) बिके माल अथवा प्रदत सेवाओं का कुल मूल्य या (3) व्ययों की कुल राशि, चाहे आगम या पूँजीगत स्वभाव का हो, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान शाखा कार्यालय द्वारा खर्च

की गई है में दो लाख रूपये या कंपनी के कुल औसत आवर्त (टर्नओवर) के 2 प्रतिशत (कंपनी के टर्नओवर में इसकी समस्त शाखाओं एवं अन्य कार्यालयों तथा सेवाओं के बदले एवं अन्य स्रोतों से उसी अवधि के दौरान प्राप्त आय शामिल है), दोनों में से जो भी अधिक हो , से अधिक नहीं है तो ऐसे शाखा कार्यालय को धारा 228 के अंतर्गत अंकेक्षण से छूट प्राप्त है ।

गतिविधी की औसत मात्रा में संबंधित वित्तीय वर्ष से बिल्कुल पहले के तीन वित्तीय वर्षों की गतिविधी का औसत लिया जायेगा । यदि कंपनी की स्थापना को तीन वर्ष नहीं हुए हैं तो दो वर्ष या जैसी भी स्थिति हो को औसत लिया जायेगा ।

वाक्यांश (c) यदि कंपनी शाखा अंकेक्षक उचित लागत पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और केंद्रीय सरकार इस कारण से संतुष्ट है ।

वाक्यांश (d) किसी भी ऐसे अन्य कारण के आधार पर शाखा अंकेक्षण की मुक्ति की जा सकती है जिस कारण से केंद्रीय सरकार संतुष्ट हो ।

धारा–229 (Sec.-229) :–

इस धारा के अनुसार कंपनी के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर केवल वह व्यक्ति ही हस्ताक्षर करेगा जिसकी धारा 224(1) में नियुक्ति की गई थी । यदि कंपनी द्वारा किसी फर्म को कंपनी अंकेक्षण के लिए नियुक्त किया गया था तो उस परिस्थिति में उस फर्म का कोई भी साझेदार कंपनी के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेगा । अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने से यह तात्पर्य है कि कंपनी का चिट्ठा, लाभ हानि खाता एवं अन्य कोई दस्तावेज जो उस कंपनी के अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंध रखते हैं पर भी हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

धारा–233 (Sec.-233) :–

यदि कोई अंकेक्षक की रिपोर्ट या कंपनी का कोई प्रपत्र धारा 229 के अंतर्गत हस्ताक्षरित नहीं किया जाता अथवा अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो संबंधित अंकेक्षक तथा ऐसा व्यक्ति जिसने प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं तो यदि गलती जानबूझकर की गई है तो दण्डनीय होगी जिसके लिए 10000रू. तक का जुर्माना किया जा सकता है ।

Abhishek Sarda

धारा–230 (Sec.-230) :–

कंपनी के अंकेक्षण का कार्य तभी पूर्ण मान लिया जाता है जब अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर कर उन्हें कंपनी के संचालक व सचिव को सौंप दिये जाये । अंकेक्षण प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत कंपनी के संचालकों का या सचिव का यह कर्तव्य बनता है कि वे कंपनी की साधारण सभा बुलाये और कंपनी के अंशधारियों को अंकेक्षण प्रतिवेदन व अन्य दस्तावेज प्रेषित करें ।

धारा–232 (Sec.-232) :–

यह अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है कि वह देखें कि कंपनी के प्रत्येक अंशधारी को वित्तीय प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन व अन्य दस्तावेज भेजे गये हैं अथवा नहीं ।

धारा–231 (Sec.-231) :–

इस धारा के अनुसार कंपनी अंकेक्षक को यह अधिकार है कि वह कंपनी की किसी भी साधारण सभा में उपस्थित हो अर्थात् प्रत्येक कंपनी का यह कर्तव्य है कि जो सूचना कंपनी के अंशधारियों को भेजी जाती है वह कंपनी के अंकेक्षक को भी भेजी जाएगी । कंपनी के अंकेक्षक को यह अधिकार इसलिए दिया गया है जिससे अंकेक्षक ने यदि अंकेक्षण प्रतिवेदन में कुछ मर्यादाएँ, नकारात्मक टिप्पणियाँ इत्यादि हैं तो उनके संदर्भ में कंपनी के अंशधारियों को पूर्ण रूप से उल्लेख कर सकें और यदि अंकेक्षक को यह लगता है कि कंपनी के संचालकों या सचिव द्वारा कंपनी के अंशधारियों को भ्रमित किया जा रहा है तो वह उनका

स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप में अंशधारियों को बता सकें । यदि अंशधारियों व संचालकों में किसी बिंदू को लेकर वार्तालाप चल रहा है तो अंकेक्षक उनके वार्तालाप के मध्य नहीं बोलेगा अर्थात् वह तब तक इंतजार करेगा जब तक उनका वार्तालाप समाप्त नहीं हो जाता ।

धारा–233 A (Sec.-233A) :–

इस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को यह अधिकार है कि कुछ विशिष्ट परिसिथितियों में विशेष अंकेक्षण कराये । इस धारा में विशेष अंकेक्षण के अधिकार, पारिश्रमिक व योग्यता का भी उल्लेख किया गया है ।

233A(1) [233A(1)] :–

यदि केंद्रीय सरकार यह समझती है कि :–

(a) कंपनी का कार्य स्वस्थ व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर प्रबंधित नहीं किया जा रहा है

(b) कंपनी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा रहा है कि उससे संबंधित व्यापार उद्योग को खतरा या बहुत ही प्रकार की क्षति पहुँच सकती है

(c) कंपनी की वित्तीय स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इससे उसकी शोधन क्षमता खतरे में पड़ सकती है अर्थात् कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है ।

यदि उपरोक्त तीन परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार को आभास होता है कि किसी भी कंपनी पर कोई भी एक परिस्थिति लागू होती है तो उस स्थिति में केंद्रीय सरकार द्वारा उस कंपनी का विशेष अंकेक्षण किसी से भी करवाया जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह अभ्यासरत हो । यह विशेष अंकेक्षण कंपनी अंकेक्षक से भी करवाया जा सकता है जिसकी नियुक्ति धारा 224(1) में की गई थी ।

Abhishek Sarda

233A(2) [233A(2)] :–

केंद्रीय सरकार द्वारा जिस भी अंकेक्षक की नियुक्ति की जायेगी उसे विशेष अंकेक्षक कहा जायेगा ।

233A(3) [233A(3)] :–

इस विशेष अंकेक्षक के वे ही अधिकार व कर्तव्य होंगे जो एक सामान्य अंकेक्षक के धारा 227 में होते हैं परंतु विशेष अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन कंपनी के सदस्यों के नाम नहीं जारी करके केंद्रीय सरकार को जारी करेगा ।

233A(4) [233A(4)] :–

विशेष अंकेक्षक को अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन धारा 227 के अनुसार जारी करना होगा और यदि केंद्रीय सरकार चाहे तो वह कुछ अन्य मामलों पर भी अपनी राय दे सकता है ये मामले उपधारा 233A(1) से संबंधित हो सकते हैं ।

233A(5) [233A(5)] :–

केंद्रीय सरकार कंपनी के किसी अधिकारी को यह आदेश दे सकती है कि वह विशेष अंकेक्षक को वे सभी सूचनाएँ व दस्तावेज उपलब्ध करवाये जिसकी विशेष अंकेक्षक को आवश्यकता है । यदि वह विशेष अंकेक्षक को सूचनाएँ व दस्तावेज इत्यादि नहीं उपलब्ध करवाता है तो उसे 5000 रू. तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है ।

233A(6) [233A(6)] :–

केंद्रीय सरकार को विशेष अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत यह अधिकार प्राप्त है कि वह जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से उस विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन पर अपना निर्णय लें ।

233A(7) [233A(7)] :–
विशेष अंकेक्षक का पारिश्रमिक व अन्य व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएंगे और इनका भुगतान संबंधित कंपनी द्वारा किया जाएगा । पारिश्रमिक के संबंध में केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा । यदि संबंधित कंपनी द्वारा विशेष अंकेक्षक के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है तो सरकार संबंधित कंपनी से उस पारिश्रमिक का भुगतान वैसे ही प्राप्त करेगी जैसे सरकारों द्वारा कृषकों से भू–राजस्व वसूल किया जाता है ।

धारा–233 B (Sec.-233B) :–
इस धारा के अंतर्गत लागत अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान हैं :–

233B(1) [233B(1)] :–
केंद्रीय सरकार ने यदि किन्हीं कंपनी को धारा 209(1d) के अंतर्गत यह आदेश दिया है कि वह अपनी लेखा पुस्तकों में लागत लेखा पुस्तकों को भी शामिल करें तो उन कंपनियों को केंद्रीय सरकार द्वारा यह भी आदेश दिया जा सकता है कि वे लागत अंकेक्षण भी करावें ।
लागत अंकेक्षण, एक लागत अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा जो ICWAI, 1959 के अनुसार योग्यता रखता होगा । यदि केंद्रीय सरकार यह समझती है कि लागत अंकेक्षकों की संख्या कम है तो वह यह आदेश दे सकती है कि इन कंपनियों का लागत अंकेक्षण एक सी.ए. द्वारा किया जाएगा जो धारा 226(1) में योग्य हैं।

233B(2) [233B(2)] :–
लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के संचालक मंडल द्वारा की जाएगी और अंकेक्षकों पर कंपनी अधिनियम की धारा 224(1) B भी लागू की जाएगी ।

Abhishek Sarda

233B(3) [233B(3)] :–
लागत अंकेक्षक द्वारा किया गया लागत अंकेक्षण धारा 224 के अंकेक्षण के अलावा गिना जाएगा ।

233B(4) [233B(4)] :–
लागत अंकेक्षक के वे सभी अधिकार हैं जो कंपनी अंकेक्षक के धारा 227 में होते हैं , परंतु लागत अंकेक्षक अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन केंद्रीय सरकार व कंपनी के वित्तीय वर्ष समाप्ति से 120 दिनों के भीतर प्रेषित करना होगा ।

233B(5) [233B(5)] :–
निम्न व्यक्ति लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं :–
(1) यदि वे कंपनी अधिनियम की धारा 226 (3) या 226(4) में अयोग्य है
(2) यदि लागत अंकेक्षक द्वारा उसी कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण धारा 224 में किया जा रहा है,
(3) एक लागत अंकेक्षक की नियुक्ति होने के उपरांत यदि उपरोक्त (1) व (2) में किसी भी आधार पर अयोग्यता है ।

अंकेक्षक का पूर्वाधिकार (The Auditor's Lien) :–
सामान्य तौर पर पूर्वाधिकार से यह तात्पर्य है कि कोई भी वह व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति का कोई कार्य किया हो और उस व्यक्ति का पारिश्रमिक बकाया हो तो कार्य करने वाले व्यक्ति के पास यह अधिकार आ जाता है कि वह दूसरे व्यक्ति की संपति को अपने अधिकार में तब तक रख सकता है जब तक कि

कार्य करने वाले व्यक्ति को उसका पारिश्रमिक प्राप्त न हो जाए । यह अधिकार वैधानिक अधिकार कहा जाएगा ।

अंकेक्षक का पूर्वाधिकार : किसी कंपनी के अंकेक्षक के पास भी एक प्रकार का पूर्वाधिकार होता है । इस पूर्वाधिकार के संबंध में कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरी करने की आवश्यकता होती है अर्थात् यदि इन शर्तों की पालना नहीं की जा पाती है तो अंकेक्षक के पास पूर्वाधिकार अवैध समझा जाएगा ।

अंकेक्षक के पास पूर्वाधिकार किसी संस्था की लेखा पुस्तकों व अन्य दस्तावेजों से संबंधित होता है । अंकेक्षक यदि चाहें तो अपना बकाया पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए संस्था की लेखापुस्तकों व दस्तावेजों को अपने अधिकार में तब तक ले लेगा जब तक कि उसे अपना पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो जाता ।

इंग्लैण्ड एण्ड वेल्स के चार्टर्ड लेखाकार संस्थान ने इस संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की हैं जिनके आधार पर ही एक अंकेक्षक के पास संस्थान की लेखापुस्तकों व दस्तावेजों के संबंध में पूर्वाधिकार वैधानिक रूप से आता है , ये शर्तें निम्न हैं :–

(1) अंकेक्षक द्वारा जो लेखापुस्तकें व दस्तावेज जो अपने अधिकार में ली जा रही है वे उसी संस्थान से ही संबंधित होनी चाहिए जिनको पैसा देना है।

(2) जिन लेखापुस्तकों व दस्तावेजों पर अंकेक्षक अपना पूर्वाधिकार करना चाहता है वे अंकेक्षक के पास वैधानिक रूप से प्राप्त की जानी चाहिए अर्थात् अवैधानिक तरीकों से नहीं प्राप्त किया गया हो ।

(3) अंकेक्षक द्वारा उन लेखापुस्तकों व दस्तावेजों के संबंध में का कार्य किया हुआ होना चाहिए ।

(4) यदि अंकेक्षक द्वारा संबंधित संस्था के संबंध में अलग–अलग प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं तो अंकेक्षक केवल उन्हीं लेखा पुस्तकों व दस्तावेजों पर अपना अधिकार जमाएगा जिनके संबंध में पारिश्रमिक बकाया है।

Abhsishek Sarda